

Amal

सं०सं०-17/एल२-14/2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक :-

विषय :- डा० अशोक कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS), औषधि विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है डा० अशोक कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS), औषधि विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक-31.10.2024 से 22.09.2025 तक उपभोगित चिकित्सीय अवकाश की अवधि को रूपांतरित/उपार्जित अवकाश में स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है, परंतु उक्त अभ्यावेदन के साथ चिकित्सीय अवकाश उपभोग उपरांत प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) सलग्न नहीं है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक-245(17) दिनांक-24.02.2026 के द्वारा चिकित्सक शिक्षक/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति हेतु जॉच-पत्र सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश निर्गत है।

अतः अनुरोध है कि डा० अशोक कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS), औषधि विभाग के चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति हेतु उक्त वॉंछित अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। साथ ही भविष्य में भी आवेदन विभागीय पत्रांक-245(17), दिनांक-24.02.2026 द्वारा निर्गत संबंधित जॉच-पत्र में ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं०सं०-17/एल२-14/2025- 813(17) /पटना, दिनांक :- 10.07.26

प्रतिलिपि:- डा० अशोक कुमार, सह-प्राध्यापक (संविदा-BHS), औषधि विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रेणु कुमारी
विशेष कार्य पदाधिकारी।